

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2021 जनपद देवरिया ।

01.एसओजी व थाना मदनपुर पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गयी हत्या का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 17.01.2021 को थाना मदनपुर पर वादी श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 बृजमोहन नि0ग्राम-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-04/2021 धारा-302,506,120बी भादंसं बावत वादी के भाई संदीप कुमार उम्र 24 वर्ष की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिये जाने के कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के मध्य संदेही अभियुक्तों पवन गुप्ता एवं महेन्द्र गुप्ता पुत्रगण गिरधारी गुप्ता निवासीगण-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया व संजय मद्धेशिया व दो अन्य अज्ञात तथा मृतक व पवन गुप्ता के परिवार वालों से सघन पूछ-ताँछ के पश्चात यह तथ्य पाया गया कि मृतक की अभियुक्त पवन गुप्ता के परिवार की एक लड़की के बीच संबन्धों को लेकर अभियुक्तगण पवन गुप्ता व महेन्द्र गुप्ता पुत्रगण गिरधारी गुप्ता एवं इनके दोस्तों राजू कुमार एवं सूरज यादव द्वारा मिलकर चाकू से गला काट कर हत्या कर दी गयी । इस प्रकरण में सूरज यादव एवं राजू कुमार द्वारा मृतक को शराब की दुकान से शराब खरीद कर उसे नशे की हालत में पोखरे के पास ले जाया गया एवं वहां उक्त चारों अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या कर दी गयी । इस संबन्ध में प्रकाश में आये सभी अभियुक्तों 01.पवन गुप्ता, 02.महेन्द्र गुप्ता पुत्रगण गिरधारी गुप्ता 03.सूरज यादव पुत्र रामवृक्ष यादव, 04.राजू कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासीगण-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया को पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2021 को सेमरा पुल के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 01.पवन गुप्ता पुत्र गिरधारी गुप्ता निवासी-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया
- 02.महेन्द्र गुप्ता पुत्र गिरधारी गुप्ता निवासी-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया
- 03.सूरज यादव पुत्र रामवृक्ष यादव, निवासी-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया
- 04.राजू कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी-बरांव थाना-मदनपुर जनपद-देवरिया ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01.हत्या में प्रयुक्त 02 अदद चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.प्रभारी निरीक्षक प्रभुदयाल सिंह थाना मदनपुर देवरिया,
- 02.उ0नि0 अनिल कुमार यादव प्रभारी एसओजी टीम देवरिया,
- 03.उ0नि0 संतोष सिंह एसओजी टीम देवरिया,
- 04.उ0नि0 घनश्याम सिंह एसओजी टीम देवरिया,
- 05.उ0नि0 श्यामसुन्दर तिवारी थाना मदनपुर
- 06.उ0नि0 रामरतन यादव थाना मदनपुर
- 07.मु0आ0 योगेन्द्र सिंह एसओजी टीम
- 08.मु0आ0 अरूण खरवार एसओजी टीम
- 09.मु0आ0 धन्नजय श्रीवास्तव एसओजी टीम
- 10.कां0 मेराज अहमद एसओजी टीम

- 11.कां0 सुदामा यादव एसओजी टीम
- 12.कां0 विमलेश सिंह सर्विलांस सेल
- 13.कां0 राहुल सिंह सर्विलांस सेल
- 14.कां0 अंकित यादव थाना मदनपुर
- 15.कां0 पीन्टू चौहान थाना मदनपुर

02.थाना बनकटा पुलिस द्वारा रिकवरी वैन में छिपाकर रखी लगभग 11 लाख रूपये की अवैध अंग्रेजी शराब व वाहन अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपये कुल
—:कीमत लगभग 16 लाख की बरामदगी व दो अभियुक्त की गिरफ्तारी:—

दिनांक 18.01.2021 की रात थाना बनकटा पुलिस द्वारा थाना बनकटा के रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट पर एक रिकवरी वैन संख्या: UP 15 CT 2125 से 750 एमएल की 41 पेटी, 375 एमएल की 42 पेटी, 180 एमएल की 43 पेटी कुल 126 पेटी हरियाणा निर्मित इम्पीरियल ब्लू अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रूपये है तथा रिकवरी वैन वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपये है, इस प्रकार कुल बरामदगी लगभग 16 लाख रूपये की गयी है। इस संबंध में अभियुक्त 01.कुलदीप सिंह पुत्र करमवीर सिंह निवासी—सिसाना थाना—खरखौदा जनपद—सोनीपत (हरियाणा), 02.परमजीत पुत्र दमन निवासी—पिलाना थाना—कलनौर जनपद—रोहतक (हरियाणा) की गिरफ्तारी कर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—

- 01.कुलदीप सिंह पुत्र करमवीर सिंह निवासी—सिसाना थाना—खरखौदा जनपद—सोनीपत (हरियाणा),
- 02.परमजीत पुत्र दमन निवासी—पिलाना थाना—कलनौर जनपद—रोहतक (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण:—

01. कुल 126 पेटी हरियाणा निर्मित इम्पीरियल ब्लू अवैध अंग्रेजी शराब, कीमत 11 लाख रूपये।
- 02.एक रिकवरी वैन वाहन UP 15 CT 2125 कीमत 05 लाख रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:—

- 01.उ0नि0 महेन्द्र प्रताप थाना बनकटा देवरिया,
- 02.उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना बनकटा देवरिया,

- 03.उ0नि0 संजय यादव थाना बनकटा देवरिया,
- 04.कां0 सुरेन्द्र सिंह थाना बनकटा देवरिया,
- 05.कां0 ईश्वरचन्द्र यादव थाना बनकटा देवरिया,
- 06.कां0 चन्दन मौर्या थाना बनकटा देवरिया,